



10

या.पु.क. अ-१२/२०१७-१८

पेशी - ११५२०१८

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल, गवालियर

केम्प इन्दौर जिला इन्दौर म.प्र. इन्हों के समक्ष,

श्री ८१२५६८९

पांच रुपये/अदिनान्त दास दिनांक (१०३-१८)

पुनरीक्षण अर्ज - अंतर्गत धारा ५० १ ने म.प.भु.ग. संहिता

मित्रानि) - ५८२८/२०१८/ख२२४५४/भ०२। का प्रस्तुत।

१. कैलाश पिता ख. रामचंद्र पाटीदार, जाति-कुलमी, उम्र- ४८ वर्ष, धंधा-कृषि,  
निवासी - ग्राम - पाडल्यारखुर्द, तहसील - महेश्वर, जिला-खरगोन म.प्र.

अधीक्षक

विष्णु

११५७  
११-०४-२०१८

पुनरीक्षणकर्ता प्रत्यक्षित कार्यालय

१. शेषेश्वराम पिता ख. पंचलाल पाटीदार, जाति-कुलमी, उम्र- ६२ वर्ष, धंधा-कृषि,  
निवासी - ग्राम - पाडल्यारखुर्द, तहसील - महेश्वर, जिला-खरगोन म.प्र.

प्रत्यर्थी

वाद - सीमांकन आदेश बाबटा।

इसमें पुनरीक्षणकर्ता की ओर से गिम्नानूसार पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

सदर पुनरीक्षण अर्ज श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, टप्पा करही, तहसील महेश्वर जिला खरगोन म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमांक ३०/अ-१२/ २०१७-१८ में पारित आदेश दिनांक ०८.०६.२०१७ से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। साथ में आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है। उक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेजों की छापाप्रतिया भी अवलोकन हेतु पेश है।



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5825/2018/खरगोन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, किन्तु आवेदक अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> </p>	